भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : **2633**
गुरुवार, 22 दिसम्बर, 2022 /1 पौष, 1944 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

<u>विमानपत्तनों पर सुरक्षा उपकरण स्थापित करना।</u>

2633. श्री अनुराग शर्मा:
श्री डी.एम. कथीर आनन्द:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू विमानपत्तनों पर अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी निगरानी, संरक्षा और सुरक्षा उपकरण स्थापित और चालू किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु सभी विमानपत्तनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उच्च स्तरीय सीसीटीवी कैमरों और निगरानी प्रणाली की स्थापना और उनका उपयोग शुरू करने के लिए विगत पांच वर्षों में पर्याप्त धनराशि खर्च की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के सभी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू विमानपत्तनों के आस-पास परिधीय घुसपैठ प्रणाली और एकीकृत स्मार्ट पावर फेंसिंग उपलब्ध कराई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(घ) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के सभी विमानपत्तनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इनमें अग्नि सुरक्षा उपकरणों, दमकल गाड़ियों और अग्निशमन उपकरणों की स्थापना और उन्हें चालू करने के लिए पर्याप्त धनराशि खर्च की है; और

(ङ) यदि हाँ, तो विगत पांच वर्षों के दौरान तत्संबंधी वर्ष-वार और विमानपत्तन-वार ब्यौरा क्या है और कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

<u>उत्तर</u>

<u>नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल) (डा.), विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)</u>

(क) से (ङ) जी हां। नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), विमानन संरक्षा नियामक और नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस), विमानन सुरक्षा नियामक द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुसार हवाईअड्डों पर संरक्षा और सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाते हैं। डीजीसीए, हवाईअड्डों की संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर) को प्रकाशित करता है और नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस),

हवाईअड्डों पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए - अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार विमानन सुरक्षा आदेश/परिपत्र जारी करता है।

हवाईअड्डा प्रचालक, हवाईअड्डों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए अपनी स्वयं की निधि से आवश्यक अवसंरचना/उपकरण प्रदान करते हैं, जिसमें अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे, मॉनिटरिंग प्रणाली, पेरीमीटर इंट्रूज़न डिटेक्शन सिस्टम (पीआईडीएस), एकीकृत स्मार्ट पावर फेंसिंग, अग्नि निवारण और संरक्षण प्रणालियां और विमान बचाव और अग्निशमन (एआरएफएफ) सेवाएं शामिल हैं। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के हवाईअड्डों पर कोई पीआईडीएस और एकीकृत स्मार्ट फेंसिंग प्रणाली स्थापित नहीं है।

******